



शुद्धि-पत्र

अल्पकालिक संविदा आधार पर परामर्शदाता (सामान्य) की नियुक्ति

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विज्ञापन सं. **02/Consultant/2021/Rectt. Cell** दिनांक **14.07.2021** (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से **23.07.2021** (अपराह्न 06:00 बजे) तक प्रभावी के माध्यम से 04 परामर्शदाताओं (सामान्य) को पूर्णतः अल्पकालिक संविदा आधार पर नियुक्त करने हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया था, संविदा की अवधि शुरू में एक वर्ष के लिए होगी, जिसे दि.वि.प्रा. की आवश्यकता और अभ्यर्थियों के कार्य निष्पादन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु योग्यता और अनुभव में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

कॉर्पोरेट रणनीति, सामरिक प्रबंधन, सूचना प्रबंधन, विपणन, वित्त, मानव संसाधन, संचालन और रियल एस्टेट में **एमबीए/पीजीडीएम या समकक्ष**।

अनुभव: 05 वर्ष (एमबीए/पीजीडीएम डिग्री प्राप्ति की तिथि से गणना की जायेगी)।

आवेदन के प्रारूप के साथ अपेक्षित योग्यता, अनुभव, समेकित वेतन आदि के बारे में अनिवार्य विवरण वाली पूर्ण अधिसूचना सहित आवेदन प्रपत्र प्रारूप दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट **www.dda.gov.in/latest-jobs** पर उपलब्ध है।

इच्छुक अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे दिनांक **13.10.2021** (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से **22.10.2021** (अपराह्न 06:00 बजे) तक केवल ईमेल **consultant.rc@dda.org.in** पर ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करें। चुने गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि व समय और स्थान की सूचना नियत समय पर दी जायेगी। इससे संबंधित एक सूचना दि.वि.प्रा. की वेबसाइट **www.dda.gov.in/latest-jobs** पर भी अपलोड किया जायेगा। किसी भी अन्य माध्यम से या आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: जो अभ्यर्थी दिनांक **14.07.2021** को प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से अपना आवेदन पहले ही जमा करा चुके हैं उन्हें दुबारा आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि, उनके योग्यता / अनुभव आदि में कोई परिवर्तन हुआ हो तो वे पूर्व आवेदन के विवरण के साथ नये आवेदन जमा कर सकते हैं।

ऊपर बताई गई रिक्तियों की संख्या आवश्यकता और उपलब्धता या किसी अन्य कारण से रिक्तियों की अनुपलब्धता के आधार पर बढ़ / घट या शून्य हो सकती है। ऐसे किसी भी परिवर्तन के लिए कोई अधिसूचना / शुद्धि-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

इस संबंध में डाक या फोन द्वारा किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से दि.वि.प्रा. की वेबसाइट देखते रहें।

आयुक्त (कार्मिक)

f @ddaofficial **🐦 @official_dda** पर हमें फॉलो करें